रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 29 अक्तूबर, 1974
कार्तिक 7, 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4001/सत्रह-वि-1--143-72

लखनऊ, 29 अक्तूबर, 1974

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) विधेयक, 1974 पर दिनांक 23 अक्तूबर, 1974ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31,1974)
[जैसा कि उ० प्र० विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

अधिनियमों को बिना किसी परिष्कार के या परिष्कार सहित जारी रखने के लिए अधिनियम पारित होने से पहले ऐसे अधिनियमों की समाप्ति से उत्पन्न हुई और हो सकने वाली असुविधा को दूर करने के लिए।

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) यह 1 सितम्बर, 1972 से प्रवृत्त समझा जायगा।

जारी रखने वाले अधिनियम का प्रभाव।

2—यदि राज्य विधान मण्डल के किसी सत्र में किसी ऐसे अधिनियम को जो उस सत्र में अथवा उसके पश्चात् समाप्त होने को हो (जिसे आगे समाप्त होने वाला अधिनियम कहा गया है), जारी रखने के लिये कोई विधेयक (जिसे आगे जारी रखने वाला विधेयक कहा गया है), पुरःस्थापित किया जाय और ऐसा अधिनियम जारी रखने वाले विधेयक पर, यथा आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति

या राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त गजट में अधिनियम के रूप में (जिसे आगे जारी रखने वाला अधिनियम कहा गया है) प्रकाशित किए जाने के पूर्व समाप्त हो जाय तो जारी रखने वाले अधिनियम में अन्यथा विशेषतः की गयी व्यवस्था के सिवाय--

(क) यदि समाप्त होने वाले अधिनियम को बिना किन्हीं परिष्कारों के चालू रखना आशयित हो तो जारी रखने वाले अधिनियम को प्रथम उल्लिखित अधिनियम की समाप्ति के दिनांक से (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) उसी प्रकार पूर्णतः तथा प्रभावतः सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिए प्रभावी हुआ माना जायगा और होगा, मानो ऐसा जारी रखने वाला अधिनियम उक्त दिनांक के पूर्व वस्तुतः गजट में प्रकाशित हो गया हो, और

(ख) यदि समाप्त होने वाले अधिनियम को किन्हीं परिष्कारों के साथ जारी रखना आशयित हो, तो जारी रखने वाला अधिनियम प्रथम उल्लिखित अधिनियम को, बिना किन्हीं ऐसे परिष्कारों के उक्त दिनांक से, जारी रखने वाले अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तक उसी प्रकार पूर्णतः तथा प्रभावतः सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिए जारी रखता हुआ समझा जायगा मानों ऐसा जारी रखन वाला अधिनियम उक्त दिनांक के पर्व वस्तुतः गजट में प्रकाशित हो गया हो और उसमें उक्त परिष्कारों के लिए कोई व्यवस्था न हो :

प्रतिवन्ध यह है कि यहां पर अन्तर्विष्ट किसी बात का यह विस्तार उस सीमा तक न होगा और न उससे यह समझा जायगा कि जारी रखे गये अधिनियम की समाप्ति तथा उस दिनांक के, जब जारी रखने वाला अधिनियम वस्तुतः गजट में प्रथम बार प्रकाशित किया गया, बीच इस प्रकार जारी रखे गये अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी व्यक्ति द्वारा किसी कृत या अकृत बात के कारण स्वरूप ऐसे व्यक्ति पर किसी प्रकार के दण्ड, शास्ति अथवा समपहरण का प्रभाव पड़े ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1950 का निरसन ।

3--उत्तर प्रदेशीय विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) अधिनियम, 1950 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

. . . . . .

No. 4067 (2) /XVIII—V—143-72

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhiyon ka (Samapti Sambandhi) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 23, 1974.

THE UTTAR PRADESH LAWS (EXPIRATION) ACT, 1974

(U. P. Act No. 31 of 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to remedy the inconvenience which had arisen and may arise from the expiration of Acts before the passing of Acts to continue the same with or without any modifications.

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Laws (Expiration) Act, 1974.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 1, 1972.

Effect of continuing Act.

2. Where any Bill (hereinafter referred to as the continuing Bill) is introduced in any session of the State Legislature for the continuance of any Act which would expire in such session or thereafter (hereinafter referred to as the expiring Act) and such Act expires before the continuing Bill after receiving

the assent of President or Governor, as may be necessary, has been published in the *Gazette* as an Act (hereinafter referred to as the continuing Act), then except as otherwise specially provided in the continuing Act,—

(*a*) where the expiring Act is intended to be continued without any modifications, the continuing Act shall be deemed and taken to have effect from the date of expiration of the first mentioned Act (hereinafter referred to as the said date), as fully and effectually to all intents and purposes as if the continuing Act had actually been published in the *Gazette* before the said date, and

(*b*) where the expiring Act is intended to be continued with any modifications, the continuting Act shall be deemed to have continued the first-mentioned Act, without any such modifications, from the said date till immediately before the commencement of the continuing Act as fully and effectually to all intents and purposes as if the continuing Act had actually been published in the *Gazette* before the said date and had not provided for such modifications:

Provided that nothing herein contained shall extend, or be construed to extend, to affect any person with any punishment, penalty, or forfeiture whatsoever by reason of anything done or omitted to be done, by any such person contrary to the provisions of the Act so continued between the expiration of the same and the date on which the continuing Act is actually first published in the *Gazette*.

3. The Uttar Pradesh Laws (Expiration) Act, 1950 is hereby repealed. Repeal of U. P. Act XXVIII of 1950.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पो०एस०यू०पो०—ए० पो० 222 सा० (विधायिका)—1974—525 (मे०) ।